वास्तुकला परिषद्
Council of Architecture
वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अंतर्गत भारत सरकार का एक स्वायत्त सांविधिक निकाय
(An Autonomous Statutory Body of Govt. of India, under the Architects Act, 1972)

Ref. No. CA/273/2022/Anti-Ragging

February 09, 2022

To,

The Heads of all the Architectural Institutions in the Country

Subject: - Anti-Ragging measures in Architectural Institutions-reg.

Sir/Madam,

I am directed to state that the Council of Architecture is in receipt of letter no. DO No. 1-15/2009(ARC) pt. III dated 30th December 2021 from the Secretary, University Grants Commission, regarding measures to be taken by Higher Education Institutions for ensuring ragging free campus. A copy of the same is enclosed herewith for your kind perusal.

You are requested to take appropriate measures in terms of the above referred letter dated 30.12.2021 of UGC to ensure that no ragging incident happens in the premises of your institution.

The Council looks forward to your kind cooperation to stop ragging in Architectural Institutions.

Kindly ignore the earlier letter of even number dated 07.02.2022.

Thanking you,

Yours faithfully,

Deepak Kumar

Deepak Kumar
Administrative Officer &
Nodal Officer Anti Ragging

Encl: As above

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph :. 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

D.O. No.1-15/2009 (ARC) pt.III

SPEED POST

23rd December, 2021

3 0 DEC 2021

Respected Madam/Sir,

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC had notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in. These regulations are mandatory for all higher educational institutions in the country.

As multiple mechanisms are required to ensure a ragging-free campus, here are some recommendations and action steps which are required to be deployed in your esteemed university and all institutions under your ambit.

A. Basic Measures:

1. Constitution of anti-ragging committee, anti-ragging squad, setting up of Anti-Ragging Cell and adequate publicity for these measures through various media are to be undertaken.
2. Mention of anti-ragging warning in the institution's prospectus and information booklets /brochures shall be ensured.
3. To create E-admission booklet or brochure, E-leaflets giving details on guidance in case of ragging to admitted students instead of print/hard copy of your institutions.
4. Updating websites of institutions with the complete address and contact details of nodal officers related to anti-ragging committee.
5. In compliance with the UGC Regulations and its 2nd Amendment regarding submission of undertaking by each student and every parent, an online undertaking in every academic year to be submitted.
6. UGC has notified 3rd Amendment in UGC Regulations on 29th June, 2016 to expand the definition of ragging by including the following:

   "3. (i) Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background."

7. Installing CCTV cameras at vital points.

B. Counseling and monitoring measures

1. Regular interaction and counseling with the students can detect early signs of ragging and identification of trouble-triggers.
2. Surprise inspection at hostels, students accommodation, canteens, rest-cum-recreation rooms, toilets, bus-stands and any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled for behaviour/incident shall be undertaken.

C. Creative Dissemination of the idea of ragging-free campus

1. Events like Anti-Ragging workshops, seminars and other creative avenues to spread the idea.
2. Safety and security apps without affecting the privacy of individuals can be creatively deployed.

Registrar
Dak 179374
5-1-2022

D. Using other UGC initiated measures

1. Students in distress due to ragging related incidents can call the National Anti-Ragging Helpline **1800-180-5522 (24x7 Toll Free)** or e-mail the Anti-Ragging Helpline at helpline@antiragging.in.

2. For any other information regarding ragging, please visit the UGC website i.e. www.ugc.ac.in&www.antiragging.in and contact UGC monitoring agency i.e. AmanSatyaKachroo Trust on mobile No. 09871170303, 09818400116 (only in case of emergency).

3. UGC also drives an Anti-Ragging Media Campaign through different modes and UGC has got developed the following entities to promote anti-ragging which are available on UGC website i.e. www.ugc.ac.in.

    a. UGC has developed 05 TVCs of 30 seconds each from different perspective i.e. Parents, Victim and Offenders.

    b. UGC has designed and distributed posters amongst Universities/Regulatory Authorities/Councils/IITs/NITs/Other educational institutions for the prominent display.

    c. UGC has consecutively organized 02 Anti-Ragging Competitions for students/faculty /general public for the wider awareness of the menace of ragging.

Any violation of UGC Regulations or failure of institution to take adequate steps to prevent ragging in accordance with these Regulations or failure to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, will attract punitive action under the UGC Act.

You are requested to implement the revised procedure for students to file online anti ragging affidavit communicated vide this office letter no. 3-2/2021(ARC) dated 27th October, 2021 and display the email address and contact number of the Nodal Officer of Anti Ragging of your university/college in your website and campus areas like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel, and Common facilities etc. to create awareness about the revised procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit, and also immediately instruct all the colleges under your purview to follow it.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Rajnish Jain)

The Vice-Chancellor of all Universities.

Copy to:-

✓1. All Regulatory Authorities (As per list attached) with a request to take necessary steps to ensure these activities in all the Universities/Institutions under your ambit.
2. UGC, Regional Offices (As per list attached) with a request to take necessary steps to ensure these activities in all the Colleges/Institutions under your ambit.
3. Ms. JasleenKaur, Under Secretary (HE), Department of Higher Education, Ministry of Education, Room No. 221, 'C' Wing, ShastriBhawan, New Delhi-110001.
4. Dr. Diksha Rajput, Deputy Secretary, UGC, New Delhi (for uploading on UGC website).
5. Prof. Raj Kachroo, Founder Trastee, AmanSatyaKachroo Trust, 689, Sector-23, Gurgaon, Haryana-122 017 (for uploading the same on both the websites: (1) website:www.amanmovement.org (2) www.antiragging .in

(Rajnish Jain)

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph :. 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

अर्ध शासकीय पत्र संख्या 1-15/2009 (एआरसी) भाग-III

SPEED POST

23 दिसंबर, 2021

3 0 DEC 2021

आदरणीय महोदय/महोदया,

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 887/2009 दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विनियम, 2009" अधिसूचित किया है, जो देश के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर अनिवार्य रूप से लागू है। ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट **www.ugc.ac.in** पर उपलब्ध हैं ।

रैगिंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के लिए कुछ सिफारिशें और कार्रवाई योग्य बिन्दु, जिन्हें आपके विश्वविदयालय तथा संबद्ध/सहयुक्त सभी संस्थानों में लागू करने की आवश्यकता है, निम्नवत् हैं:-

क) बुनियादी उपायः-

1. रैगिंग रोधी समिति तथा रैगिंग रोधी दस्ते का गठन एवं रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना कर विभिन्न मीडिया के माध्यमों से इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए।
2. संस्था की विवरणिका एवं सूचना पुस्तिकाओं में रैगिंग रोधी चेतावनी का उल्लेख सुनिश्चित किया जाए।
3. विद्यार्थियों के सूचनार्थ और मार्गदर्शन के लिए प्रकाशित नामांकन-विवरणिकाओं, सूचना-पुस्तिकाओं, पत्रकों इत्यादि के कागजी प्रति के बजाय उनकी सॉफ्ट प्रतियाँ प्रकाशित की जाए तथा उनमें रैगिंग रोधी निर्देशों के साथ-साथ इस संबंध में समुचित मार्गदर्शन को भी समाहित किए जाएँ।
4. रैगिंग रोधी समिति तथा इसके नोडल अधिकारियों के पूरे पते और उनके संपर्क विवरण के साथ संस्थानों की वेबसाइटों को अदयतन किया जाए।
5. विश्वविदयालय अनुदान आयोग के विनियमों और इसके दूसरे संशोधन के अनुपालन में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता द्वारा एक ऑनलाइन संकल्प पत्र जमा कराया जाए।
6. विश्वविदयालय अनुदान आयोग ने 29 जून, 2016 को विश्वविदयालय अनुदान आयोग के विनियमों में तीसरा संशोधन अधिसूचित किया है, जिसमें निम्नलिखित को शामिल करके रैगिंग की परिभाषा का विस्तार किया गया है:- *"3. (i) रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, नृजातीयता, लिंग (ट्रांसजेंडर सहित), सेक्सुअल ओरिएंटेशन, भेष, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल, भाषाई पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी छात्र (नए या अन्यथा) पर लक्षित या शारीरिक या मानसिक शोषण (दादागिरी और बहिष्करण सहित) का कोई भी कृत्य।"*
7. महत्वपूर्ण स्थानों पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाना।

ख) परामर्श तथा निगरानी के उपायः-

1. विद्यार्थियों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श से रैगिंग के शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जा सकता है और परेशानी करने वाले कारकों की पहचान की जा सकती है।
2. छात्रावासों, विद्यार्थियों के आवास, कैंटीन, विश्राम-सह-मनोरंजन कक्षों, शौचालयों, बस-स्टैंड इत्यादि का औचक निरीक्षण और कोई भी अन्य उपाय जो रैगिंग को रोकने/ लगाम लगाने और अनुचित व्यवहार/घटना को रोकने में प्रभावी हैं, किए जाएँ।

ग) रैगिंग मुक्त परिसर के विचार का रचनात्मक प्रसारः-

1. रैगिंग रोधी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और इस विचार को फैलाने के लिए कोई भी अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों को किया जाना चाहिए।
2. व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित किए बिना सुरक्षा एवं संरक्षा ऐप्स को रचनात्मक रूप से प्रयोग में लाया जाए।

घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किए गए अन्य उपायों का उपयोग करनाः-

1. रैगिंग से संबंधित घटनाओं के कारण संकट में फंसे विद्यार्थी राष्ट्रीय रैगिंग रोधी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 (24x7 टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या रैगिंग रोधी वेबसाइट **helpline@antiragging.in** पर ई-मेल कर सकते हैं।
2. रैगिंग के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट **www.ugc.ac.in** एवं **www.antiragging.in** पर जाएं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निगरानी एजेंसी अमन सत्य काचरू ट्रस्ट से मोबाइल नंबर 09871170303, 09818400116 पर (केवल आपात स्थिति में) संपर्क करें।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न माध्यमों से रैगिंग रोधी मीडिया अभियान भी चलाता है और आयोग ने रैगिंग रोधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित संसाधन विकसित किए हैं जो आयोग की वेबसाइट **www.ugc.ac.in** पर उपलब्ध हैं।
   - (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने माता-पिता, पीड़ित और रैगिंग के दोषियों के परिप्रेक्ष्य से 30 सेकंड के अलग-अलग 05 टी.वी.सी विकसित किया हैं।
   - (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर बनाकर विश्वविद्यालयों/विनियामक प्राधिकरणों/परिषदों/आईआईटी/एनआईटी/अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच वितरित किया हैं।
   - (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यार्थियों/शिक्षकों/आम जनता के लिए 02 रैगिंग रोधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों का उल्लंघन या इन विनियमों के अनुसार रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में संस्थान की विफलता या रैगिंग की घटनाओं के दोषियों को उपयुक्त रूप से दण्डित करने में विफलता की स्थिति में उनके विरूद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत उचित दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्र सं. 3-2/2021 (एआरसी) दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के अनुसार विद्यार्थियों को ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथपत्र दायर करने के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करें और अपनी वेबसाइट और परिसर के मत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास में अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के रैगिंग रोधी के नोडल अधिकारी का ईमेल पता और संपर्क नंबर प्रदर्शित करें। विद्यार्थियों को ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथपत्र दाखिल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, और आपके विश्वविद्यालय से संबद्ध/ सहयुक्त सभी महाविद्यालयों को इसका पालन करने के लिए निर्देश देने की कृपा करें ।

सादर,

भवदीय,

(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।

प्रतिलिपिः-

1. सभी नियामक प्राधिकरणों से अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में इन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी विश्वविद्यालयों /संस्थानों में इन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जाएं।
3. सुश्री जसलीन कौर, अवर सचिव (उच्चतर शिक्षा), उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, कमरा नंबर 221, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001
4. डॉ॰ दीक्षा राजपूत, उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली (वि॰अ॰आ॰ वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)।
5. प्रो॰ राज काचरू, 689, सेक्टर-23, गुरूग्राम, हरियाणा-122 017 इसे दोनों वेबसाइटों पर अपलोड करने के लिए: (1) वेबसाइटः **www.amanmovement.org** (2)**www.antiragging.in**

रजनीश

(रजनीश जैन)